न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ट्म, मधेपुरा ।

उपस्थिति–राजेश कुमार, चतुर्थ
अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ट्म, मधेपुरा।

A.B.P. No.-158/2026
चौसा थाना कांड संख्या–294 / 2025

01. उमेश यादव, उम्र करीब–50 वर्ष, पिता–स्व0 जयनारायण यादव

02. साजन यादव, उम्र करीब–30 वर्ष, पिता–स्व0 श्यामल यादव

03. रंजन यादव, उम्र करीब–27 वर्ष, पिता–स्व0 श्यामल यादव

04. सुमन यादव, उम्र करीब–38 वर्ष, पिता–सुरेन्द्र यादव

(सभी साकिन–बशैठा, जुड़ीमोजी टोला, वार्ड नं0–10, थाना–चौसा, जिला–मधेपुरा) .....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... **प्रतिपक्षी**

16-03-2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण उमेश यादव, साजन यादव, रंजन यादव एवं सुमन यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी0 डी0 सिंह के द्वारा धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 नुर आलम को दी जा चुकी है।

आज अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय में न तो माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व में खारिज हुआ है और न ही लंबित है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है, जैसा प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। इस वाद में बी0एन0एस0 की धारा–109(1) अजमानतीय है तथा शेष सभी धाराएं जमानतीय है। आगे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रार्थी जमानत की सभी शर्तों को मानने को तैयार एवं अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है। आरोपित धारायें अभियुक्त के विरुद्ध नहीं प्रयोज्य है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

16/3/2026

राज्य की ओर से बहस करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण के विरुद्ध अन्य अभियुक्तो के साथ मिलकर गंभीर अपराध के अभियोग से संबंधित है। दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है।

सूचक अमर कुमार यादव के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2025 रोज रविवार के दिन के 2:00 बजे जब सूचक कदवा से घर आया तो देखा कि उसका चचेरा भाई संतोष कुमार घायल अवस्था में छटपटा रहा है। चाचा इंदल यादव के सर से खून निकल रहा है। अमरेश यादव छोटा भाई फटा हुआ खून से लतपथ होकर चिल्ला रहा है। भाई अरूण यादव का सर लहुलूहान है। भाई कृष्णा यादव भी घायल और अचेत है। निभास कुमार भी घायल है। प्रदीप यादव और ब्रजेश यादव भी चोटिल हो कराह रहा है। आसपास के लोगो ने बताया कि जयप्रकाश यादव सपरिवार एवं अन्य अज्ञात अपराधकर्मियो के साथ लाठी, भाला, गड़ासा, रड, थ्रीनट मास्केट से लैश होकर जान मारने की नियत से लूटपाट करते हुए मार–मार कर घायल कर दिया है। 112 पर डायल करने के बाद पुलिस गाड़ी सभी घायल को चौसा अस्पताल लाया है तथा कुछ को मायागंज अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा ऐसा जघन्य जानलेवा घटना किया गया है उसके नाम है–अर्जुन कुमार, सौरभ यादव, विद्यानंद यादव, राहुल यादव, जयप्रकाश यादव, रंजन यादव, साजन यादव, प्रीतम उर्फ प्रेम कुमार, विभाष कुमार उर्फ आलोक कुमार, उमेश यादव, सिट्टू यादव, मिथुन कुमार, सुमन यादव एवं अन्य पंद्रह–बीस आदमी जिसको नाम नही जानता पहचाना जा सकता है। आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य पर चौसा थाना कांड संख्या–294 / 2025 धारा–126(2), 115(2), 109(1),

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम, मधेपुरा ।

351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

लगातार.....
16.03.2026

उभयपक्षों को सुना तथा प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी कुल 13 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अभिलेख अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदकगण एवं अन्य के विरूद्ध चौसा थाना कांड संख्या–294 / 2025 धारा–126(2), 115(2), 109(1), 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। कांड दैनिकी के पारा–06 में वादी अमर कुमार यादव ने अपने पुनः बयान में, और कांड दैनिकी पारा–07 में साक्षी विनोद यादव और कांड दैनिकी पारा–08 में साक्षी नन्द किशोर यादव ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा–28, 29, 30 एवं 31 में जख्मीयों का जांच रिपोर्ट अंकित है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रकट होता है कि चिकित्सक ने यह सुशील कुमार के शरीर पर एक जख्म 1-Cut wound on vertex area of head(1cm x 0.2cm x 0.3cm), 2- Headache, 3- Bodyache. Simple in nature caused by hard and blunt object. अम्भुज कुमार के शरीर पर एक जख्म 1-Cut wound on vertex area of head(2cm x 0.3cm x 0.2cm), 2- Headache, 3- Bodyache. Simple in nature caused by hard and blunt object. ब्रजेश कुमार के शरीर पर एक जख्म 1- Pain & swelling in right parietal area of head., 2- Headache., 3- Pain in right shoulder. 4- Bodyache. Simple in nature caused by hard object. प्रदीप यादव के शरीर पर एक जख्म 1-Pain in right thigh., 2- pain in left elbow, 3- Backache, 4- Chest pain. Nature of injury- Opinion is reserved untill the patient shows x-ray report caused by hard and blunt object. पाया है। कांड दैनिकी का पारा–34 में संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसके अनुसार यह कांड धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 351(2), 352 बी0एन0एस0 के अंतर्गत केवल चार अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता पाया गया है । आवेदकगण के विरूद्ध इस कांड के अलावा अन्य कोई कांड दर्ज नहीं है। धारा–109(1) बी0एन0एस0 को छोड़कर प्राथमिकी की अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति का है। उभयपक्षो के बीच भूमि विवाद है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, वाद की परिस्थितियों तथा जख्म की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण **उमेश यादव, साजन यादव, रंजन यादव** एवं **सुमन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर न्यायालय में समर्पण करे। आवेदक को गिरफ्तारी / आत्मसर्पण करने पर मो0 10000 / –रु0 तथा इसी समान राशि का जमानत बंध पत्र दो प्रतिभू के साथ दाखिल करने पर जमानत मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, Subject to condition as laid downs under section 482(2) B.N.S.S.

कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VIII

लेखापित
Rajesh Kumar
(राजेश कुमार-IV) 16/3/2026
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम,
मधेपुरा।